

सदस्य, अष्टम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सतना जिला सतना
समक्ष (सुधीर मिश्रा)

प्रकरण क्रमांक ई एक्स एम जे सी 803/2024

फाइलिंग नंबर 3220/2024

सीएनआर नंबर एम पी 19010095172024

उर्मिला सिंह

..... डिक्रीधारी/आवेदक

बनाम

गणेश प्रसाद गौतम व अन्य

..... मद्युनगण/अनावेदकगण

05.12.2024

आवेदक सह श्री शैलेश पाण्डेय अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण मूल प्रकरण की तलबी एवं आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

आवेदक द्वारा अपने बैंक खाते की पास बुक एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

मूल क्लेम प्रकरण क्रमांक 288/2017 श्रीमती उर्मिला सिंह व अन्य बनाम गणेश प्रसाद गौतम व अन्य में अधिनिर्णय दिनांक 25.11.2019 का अवलोकन किया गया।

उक्त आदेश के पालन में अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा 3422544/- (चौतीस लाख बाईस हजार पांच सौ चौवालीस रुपये मात्र) राशि जमा की गई है। उक्त जमा राशि में से संपूर्ण राशि में से आवेदक क्रमांक 1 को 50 प्रतिशत एवं आवेदक क्रमांक 2 व 3 को 25-25 प्रतिशत संपूर्ण राशि में से प्राप्त होगी। आवेदक क्रमांक 1 व 2 को उनके हिस्से की राशि का भुगतान दिनांक 19.01.2024 को हो चुका है।

उक्त राशि में से आवेदक क्रमांक 3 श्रीमती उषा सिंह पत्नी श्री श्याम सिंह निवासी बसन्त बिहार कालोनी गली नंबर 09 राजेन्द्र नगर सतना थाना सिटी कोतवाली जिला सतना म.प्र. को प्राप्त होने वाली राशि का 50 प्रतिशत राशि नगद अष्टम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के खाते से आवेदक 3 के खाता क्रमांक 0291100100016195 पंजाब नेशनल बैंक शाखा सतना में आनलाइन अंतरित किया जाना है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत/ भारतीय बैंक सावधि खाते में जमा की जावे। उक्त सावधि जमा पर किसी प्रकार के ऋण, जमानत एवं अग्रिम न्यायालय के अनुमति के स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

बैंक पासबुक का अवलोकन किया गया।

पासबुक के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 29.11.2023 को चेक क्रमांक 142899 एवं चेक क्रमांक 142751 को अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा आन लाइन के द्वारा रुपये 2412176 + 1010368

=3422544 /— रूपये जमा किया जाना दर्शित होता है एवं न्यायालय के भुगतान पंजी का अवलोकन करने पर पंजी क्रमांक 48 दिनांक 23.11.2023 को जमा होना दर्शित होता है।

आवेदक के उपस्थित होने पर उनकी विधिवत पहचान कराई जाकर उक्तानुसार भुगतान आदेश जारी किया जाये।

सही /—

(सुधीर मिश्रा)

अष्टम अपर मो० दुर्घटना दावा अधि०

सतना (म०प्र०)

पुनश्च:—

आवेदक सह श्री शैलेश पाण्डेय अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक क्रमांक 3 श्रीमती उषा सिंह पत्नी श्री श्याम सिंह द्वारा अपने बैंक खाता क्रमांक 0291100100016195 पंजाब नेशनल बैंक शाखा सतना एवं आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

आवेदक के पहचान की तस्दीक श्री शैलेश पाण्डेय अधिवक्ता ने किया। अतः आदेशानुसार आवेदक का भुगतान आदेश जारी किया जावे। आवेदक को भुगतान आदेश की एक प्रति देकर पावती ली जावे।

आदेश की एक प्रति मूल क्लेम प्रकरण के साथ संलग्न की जावे।

उक्त ई एक्स एम जे सी प्रकरण मूल प्रकरण में जमा की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर निर्धारित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(सुधीर मिश्रा)

अष्टम अपर मो० दुर्घटना दावा अधि०

सतना (म०प्र०)